ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

7 मार्च, 2018 • वर्ष 1, अंक 7

सात दिन – सात पृष्ठ

राजभवन, लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक जी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेंट कर सामाजिक समता, आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के प्रतीक रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

• महाराष्ट्र सरकार ने किया राज्यपाल राम नाईक जी को सम्मानित • सीधे किसानों से आलू खरीदेगी सरकार
• छोटी कम्पनियों को शेयर बाजार से मिलेगी पूँजी • बुन्देलखण्ड में बनेगा डिफेन्स कॉरिडोर
• दो वर्ष गांवों में सेवा करेंगे डाक्टर • यूपी में लागू हुए 119 श्रम सुधार

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र सरकार ने किया राज्यपाल राम नाईक जी को सम्मानित

संविधान के तहत काम करना ही है सच्चा राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रधर्म

संविधान के तहत काम करना ही सच्चा राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रधर्म है। भाषा, वेश, खान–पान, पूजा पद्धति अलग–अलग हो सकती है लेकिन देशवासियों का कर्तव्य है कि देश के प्रति निष्ठा एवं वफादारी बनाएं रखें। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानती है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने लखनऊ विश्वविद्यालय में संगोष्ठी 'राष्ट्रीय सामाजिक एकता ही विकास का मार्ग है' में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह शब्द कहे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में छात्राओं का बदलता चित्र 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा आरम्भ की गई 'सर्व शिक्षा योजना' तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं' का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने में समाज समर्थन करें।

कार्यक्रम में दिव्यांगजनों, समाज में विशिष्ट सेवा करने वाली विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की गई। राज्यपाल ने कहा कि विश्व को परिवार मानकर एक–दूसरे का सहयोग करना चाहिए और समाज को अच्छा काम करने वालों का सम्मान करना चाहिए।

सर्वोत्तम आत्म चरित्र संग्रह की श्रेणी में लक्ष्मीबाई तिलक अवार्ड से सम्मानित हुई राज्यपाल महोदय की पुस्तक 'चरैवेति! चरैवेति!!'

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी वाराणसी में करेंगे 'चरैवेति! चरैवेति!!' के संस्कृत संस्करण का लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी ने 'चरैवेति! चरैवेति!!' के रूप में एक उत्कृष्ट आत्म चरित्र की रचना की है। उनकी इस रचना ने अत्यन्त अल्प समय में ही भरपूर ख्याति अर्जित की है एवं यह साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित रचना बन गई है। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए संस्मरण संग्रह 'चरैवेति! चरैवेति!!' एक मार्गदर्शिका है। राजनीति में समर्पित मगर भेदभाव रहित कैसे काम किया जाता है यह राज्यपाल महोदय से सीखा जा सकता है।

मुंबई में महाराष्ट्र राज्य साहित्य एवं संस्कृति विभाग द्वारा मराठी भाषा गौरव दिन के अवसर पर राम नाईक जी को उनके मराठी संस्मरण संग्रह 'चरैवेति! चरैवेति!!' के लिए सर्वोत्तम आत्म चरित्र के रूप में लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री नाईक ने इस अवसर पर अपने संस्मरण संग्रह 'चरैवेति! चरैवेति!!' पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 86 वर्ष पुराने मराठी दैनिक समाचार पत्र सकाल ने महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के साथ उनसे अनुरोध किया कि अपने–अपने संस्मरण लिखें जो उनके समाचार पत्र के रविवारीय अंक में विशेष रूप से प्रकाशित होंगे। इस प्रकार एक वर्ष तक सीरीज चली। लोगों के आग्रह पर समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों को पुस्तक 'चरैवेति! चरैवेति!!' के रूप में मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया।

इस पुस्तक के मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा गुजराती संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा बंगाली, सिंधी, तमिल सहित जर्मन, अरबी एवं फारसी भाषा में भी प्रकाशन किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ■

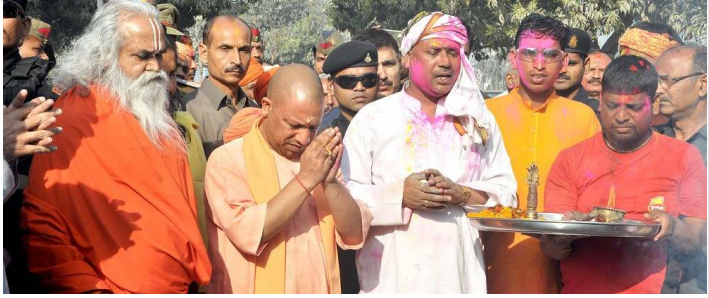

मुख्यमंत्री के साथ आस्था के रंगो से सराबोर हुई होली

गरीबी और अन्याय के विरोध का पर्व है होली

वंचितों को हक दिलाकर समाज में आएगी समानता

गरीबों को उनका हक दिलाने हेतु प्रयासरत है सरकार

भ्रष्टाचार के खात्मे पर सरकार का विशेष जोर

समाज और देश के लिए अच्छा कार्य करना आवश्यक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में इस बार गोरखपुर में होली का उत्सव यादगार बन गया। मुख्यमंत्री जी ने गोरखनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के मध्य अबीर–गुलाल उड़ाकर होली के पर्व का आनन्द लिया। जनता के उत्साह का आलम यह था कि मुख्यमंत्री जी से मिलने और होली की शुभकामनाएं देने के लिए हर ओर भारी भीड़ नजर आई। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रसन्नचित्त होकर सभी के माथे पर स्वयं चंदन का तिलक लगाकर होली की बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली को सामाजिक समरसता के पर्व के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इस पर्व की सार्थकता इसी में हैं कि इसे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाये।

उन्होंने कहा कि होली निर्धनता, अन्याय और अत्याचार के विरोध का भी पर्व है। जब तक वंचितों को उनका हक नहीं प्राप्त होगा, तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार यह विशेष ध्यान रख रही है कि सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ पात्रों तक हर हाल में पहुँच सके।

उन्होने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हम लोगों को संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया है। जब तक हम किसी कार्य के लिए संकल्प नहीं लेंगे, तब तक उसे पूर्ण करना संभव नहीं होगा। प्रदेश सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए गरीबी तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने पर जोर दे रही है और प्रसन्नता का विषय है कि सरकार की नीतियों की सराहना आम जनता भी कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने जनता सेअपील की कि सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प लें।

> समाजिक बुराईयों, दुर्व्यवस्था, अनैतिकता और अत्याचार का अन्त करने के लिए भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था। अब हम सबका दायित्व है कि सत्य का अनुसरण करते हुए समाज और देश के हित में अच्छा कार्य करें। उत्तर प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुँचने और गरीबों को सम्मान से जीने का अधिकार किसी भी हाल में उन्हें दिलाने हेतु प्रयासरत है।
>
> **–योगी आदित्यनाथ** मुख्यमंत्री

आलू भण्डारण के लिए शीतगृहों की पर्याप्त व्यवस्था

प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादन किये जाने वाले आलू के भण्डारण हेतु सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि फसल को खराब होने से बचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष लगभग 6.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू बोया गया है, जिससे प्रदेश भर में 160 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन की सम्भावना है।

प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों द्वारा उत्पादित आलू के भण्डारण के लिए प्रदेश में गत वर्ष निजी क्षेत्र में संचालित 1708 शीतगृह की भण्डारण क्षमता 130.29 लाख मीट्रिक टन को बढ़ाया गया है। इस वर्ष 117 नये शीतगृहों की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई है। इस प्रकार कुल 1825 शीतगृह आलू भण्डारण हेतु इस वर्ष तैयार है, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 142.18 लाख मीट्रिक टन है। जो कि कुल सम्भावित उत्पादन का 88.86 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में किसानों के लिए आलू भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था है।

सीधे किसानों से 549 रूपये प्रति क्विंटल आलू खरीदेगी सरकार

ओवर हेड चार्जेज के रूप में किसानों को मिलेंगे प्रति क्विंटल 137.30 रूपये

आलू के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा सीधे किसानों के खाते में

प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार किसानों से 549 रूपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। इसके अतिरिक्त ओवर हेड चार्जेज के रूप में प्रति क्विंटल 137.30 रूपये कृषकों को प्रदान करने की भी व्यवस्था है। ओवर हेड चार्जेज के अन्तर्गत परिवहन चार्ज, लोडिंग–अनलोडिंग चार्ज, पैकिंग मैटीरियल, ग्रेडिंग तथा सिलाई चार्ज, मण्डी टैक्स, परचेज टैक्स तथा गोदाम चार्ज सम्मिलित हैं।

संस्थाओं का खरीद लक्ष्य निर्धारित

योजना के क्रियान्वयन हेतु पीसीएफ, यूपी एग्रो, हॉफेड, उ.प्र. उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड और एनसीसीएफ को चयनित किया गया है।

पीसीएफ हेतु 60 हजार मीट्रिक टन, यूपी एग्रो और हॉफेड के लिए 40–40 हजार मीट्रिक टन तथा उ.प्र. उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड और एनसीसीएफ के लिए 40–40 हजार मीट्रिक टन आलू क्रय का लक्ष्य निर्धारित है। हर संस्था द्वारा आलू क्रय करने हेतु अलग–अलग जिले भी निर्धारित किये गये हैं। सभी संस्थाएं जिलाधिकारियों की सलाह के अनुरूप संबंधित जिलों में क्रय केन्द्र खोलेंगी।

सीधे किसानों से होगी खरीद

सभी संस्थाएं सीधे किसानों से ही आलू क्रय करेंगी और किसानों को आलू के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जायेगा। क्रय किया गया आलू खुले बाजार में अधिकतम संभावित मूल्य पर विक्रय किया जायेगा। खरीद संस्थाएं क्रय किये गये आलू के प्रसंस्करण एवं निर्यात की समुचित व्यवस्था करेंगी। ■

50 लाख
एमएसएमई हैं यूपी में

60 प्रतिशत
हिस्सेदारी है औद्योगिक उत्पादन में

4 करोड़ से
अधिक रोजगार देता है यह क्षेत्र

1051 करोड़
से अधिक निवेश होगा एमएसएमई में

छोटी कम्पनियों को शेयर बाजार से पूँजी दिलाने की तैयारी

छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योंगो की स्थापना तथा संचालन में पूँजी निवेश का अत्यधिक महत्व है। इस श्रेणी की कम्पनियों को अभी तक पूँजी हेतु बैंकों से कर्ज अथवा सरकारी सब्सिडी का ही सहारा था, जिसमें समय भी काफी लगता था और उद्योगों के संचालन में समस्याएं भी आती थीं।

इस समस्या के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया कि प्रदेश के छोटे तथा मध्यम उद्योगों की बैकों के कर्ज तथा सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता को समाप्त करते हए कम्पनियों द्वारा सीधे शेयर बाजार से पैसा उठाने की व्यवस्था की जाए।

वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत चयनित परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने हेतु तैयारी कर रही है। एमएसएमई की शेयर बाजार में लिस्टिंग हाने के उपरान्त यह लाभ होगा कि आम लोग भी इनके शेयर खरीद सकेंगे।

एमर्ज प्लेटफार्म पर लिस्ट होंगी कम्पनियाँ

यूपी की छोटी कम्पनियाँ बीएसई तथा निफ्टी के एमर्ज प्लेटफार्म पर लिस्ट होंगी। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने से कम्पनियाँ आसानी से अपने शेयर बेचकर बाजार से पूँजी जुटा सकेंगी, जिससे कम्पनियां आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और यूपी की विकास दर में सुदृढ़ता आएगी।

कम्पनियों की लिस्टिंग में सरकार देगी सब्सिडी

कम्पनियों की लिस्टिंग में आने वाले खर्च पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक्सचेंज में लिस्टिंग पर 3 से 4 लाख तक का खर्च आता है। इस पर सरकार द्वारा एक लाख रूपये तक की सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त उद्यमियों को लिस्टिंग हेतु आवश्यक परामर्श भी राज्य सरकार द्वारा दिलाये जाने की व्यवस्था होगी।

स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई कम्पनियों के लिस्टेड होने से कम्पनियों के लिए फंड जुटाने में आसानी होगी। सरकार के इस कदम मे कम्पनियों की ग्रोथ में तेजी आएगी। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से पारदर्शिता भी आएगी।

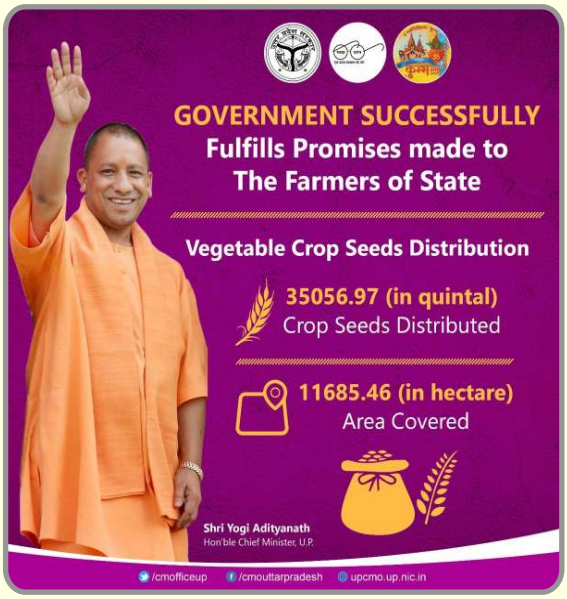

बुन्देलखण्ड में बनेगा डिफेन्स कॉरिडोर

हमारी सरकार एक साल पूरा करने जा रही है। एक वर्ष में प्रदेश का माहौल कैसे बदला और लोगों में विश्वास कैसे पैदा हुआ, यह इन्वेस्टर्स समिट ने साबित किया है। 1074 एमओयू साइन हुए और 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। प्रदेश की 22 करोड़ जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।

-योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री

यूपी के विकास की जो राह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनी है, उसका असर दिखाई देने लगा है। अब प्रदेश ने विकास की राह पर चलना प्रारम्भ कर दिया है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन्वेसटर्स समिट की सफलता है।

इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने घोषणा की कि देश में इस वर्ष जो दो रक्षा कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में बनेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण से बुन्देलखण्ड के विकास की राह प्रशस्त होगी।

20 हजार करोड़ होगी लागत

उत्तर प्रदेश में पूर्वी भारत ही नहीं, वरन् पूरे देश का विकास केन्द्र बनने की क्षमता है और इस क्षमता का समुचित उपयोग इस कॉरिडोर के माध्यम से किया जायेगा। इस कॉरिडोर की लागत लगभग 20 हजार करोड़ रूपये आएगी और इस कॉरिडोर के निर्माण से बुन्देलखण्ड में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

विकास की गति होगी तेज

यह कॉरिडोर बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों झांसी तथा चित्रकूट से प्रारंभ होकर लखनऊ होते हुए आगरा और अलीगढ़ तक जाएगा, जिससे आवागमन में तेजी आएगी और जिन क्षेत्रों से यह कॉरिडोर गुजरेगा, उन क्षेत्रों का विकास भी अत्यन्त तीव्र गति से हो सकेगा।

3 माह में पूरी होगी आवश्यक अनुमोदन की कार्यवाही

जल्द शुरू होगा डिफेन्स कॉरिडोर के लिए स्थान का चयन

मुख्य सचिव राजीव कुमार ने भारत सरकार के रक्षा उत्पाद सचिव, केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों व निजी निवेशकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर हेतु बुन्देलखण्ड सहित अन्य जिलों में भी विकास की दृष्टि से उपयुक्त स्थानों का चयन शीघ्रातिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिफेन्स कॉरिडोर के शीघ्र निर्माण हेतु इच्छुक उद्यमियों से वार्ता हेतु निर्देश दिए। प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु आवश्यक अनुमोदन एवं स्वीकृतियाँ तीन माह में प्राप्त करने तथा कॉरिडोर विकास में निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ■

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए

महत्वपूर्ण निर्णय

दो वर्ष गांवों में सेवा करेंगे डाक्टर

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार के रूप में एक बड़ी पहल करते हुए कैबिनेट द्वारा सरकारी मेडिकल कालेजों से एमबीबीएस, एमएस तथा विशेषज्ञ की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से दो वर्ष तक ग्रामीण क्षत्रों में सीएचसी तथा पीएचसी पर अपनी सेवायें प्रदान करनी होंगी।

प्रवेश के समय भरना होगा बाण्ड

अपनी सेवायें प्रदान करने हेतु मेडिकोज को दाखिले के समय ही दस लाख का बाण्ड भरना अनिवार्य होगा। पीजी करने वाले चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को छोटे मेडिकल कालेजों में अपनी सेवायें प्रदान करनी होंगी। डिप्लोमा कोर्स वालों को 20 लाख तथा डिग्री वालों को चालीस लाख का बाण्ड भरना होगा। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को एक करोड़ का बाण्ड साइन करना होगा। इन सभी को बड़े मेडिकल कालेजों में दो वर्ष तक अनिवार्य रूप से सेवायें देनी होंगी।

छात्रों को मिलेगा मानदेय

सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवायें प्रदान करने के एवज में छात्रों को प्रति माह जूनियर तथा सीनियर रेजीडेंट के बराबर मानदेय प्रदान किया जायेगा।

बांड के उल्लंघन पर जुर्माना

बाण्ड की शर्त तोड़ने पर छात्रों से भू–राजस्व की भांति जुर्माना वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा तीन माह तक नौकरी न प्रदान किये जाने अथवा छात्र उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु चयन की दशा में बॉण्ड खत्म हो जाने की भी व्यवस्था की गई है।

यूपी में लागू हुए 119 श्रम सुधार

कारोबारी सुगमता (ईज आफ डूईंग बिजनेस) के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है, ताकि निवेशकों को सहूलियत हो और श्रमिकों के हितों का भी पूरा संरक्षण हो सके।

कैबिनेट द्वारा कारखाना नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 हेतु प्रस्तावित समस्त श्रम सुधारों को लागू किया गया है। श्रम सुधारों के क्षेत्र में यूपी देश का सर्वाधिक कार्य करने वाला राज्य बन गया है।

10 साल के लिए जारी होगा कारखानों का लाइसेंस

वर्तमान में कारखानों को पाँच वर्ष के लिए लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा दस वर्ष के लिए लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकार ने यूपी कारखाना नियमावली–1950 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार निर्धारित समयसीमा के अन्दर कारखानों द्वारा नक्शा पास कराने से लेकर लाइसेंस देने की पूरी कार्यवाही करानी होगी।

सामान्य कारखानों को लाइसेन्स की स्वीकृति देने हेतु 15 दिन तथा खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लाइसेन्स स्वीकृति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समयसीमा में लाइसेंस तथा नक्शा जारी न किए जाने की दशा में इन्हें स्वत: पास मान लिये जाने की भी व्यवस्था है।

सीएनजी पर वैट में कमी 3.50 रूपये प्रति किलो होगी सस्ती

प्रदेश सरकार ने सीएनजी बनाने में प्रयोग की जाने वाली नेचुरल गैस पर वैट की दरों में संशोधन कर दिया है। अब तक सीएनजी पर लगने वाले 21 प्रतिशत वैट को घटाकर मात्र 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से सीएनजी की दरों में लगभग 3.50 रूपये प्रति किलोग्राम तक की कमी आएगी।

किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए बनेंगी निजी मंडियाँ

किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने और माल की आसानी से बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अधिक से अधिक मंडियों को लाइसेन्स प्रदान करन का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र को प्रदेश में मंडियों की स्थापना के लिए लाइसेन्स प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम–1964 में संशोधन प्रस्तावित है। इस संशोधन के अनुसार कोल्ड स्टोरेज को उप मण्डी स्थल का दर्जा प्रदान किया जाएगा और मंडी समितियों को विकास कार्यों के लिए अपने पास 10 करोड़ रूपये तक की राशि रोकने का अधिकार मिलेगा। इससे मंडी समितियाँ तेज गति से विकास कार्य सम्पन्न करा सकेंगी।

प्रवासी कर्मकारों के ठेकेदारों को 24 घंटों में मिलेगा लाइसेंस

ईज आफ डूईंग बिजनेस के दृष्टिगत प्रवासी कर्मकार (श्रमिक) से काम लेने वाले प्रत्येक ठेकेदार को श्रमिक से सेवा लेने से पूर्व रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस मंजूरी की अनिवार्यता के साथ ही आवेदन के 24 घंटे के भीतर ही रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस निर्गत करने की व्यवस्था कर दी गई है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। 24 घंटे के भीतर मंजूरी प्रदान न करने की दशा में रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस को स्वीकृत माने जाने की व्यवस्था भी की गई है।

लिखित परीक्षा से होगी सहायक शिक्षकों की भर्ती

बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही है। पूर्व में विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती शिक्षक अधिनियम 1981 के नियम 8 के तहत की जाती थी। नियमावली में संशोधन के पश्चात कैबिनेट ने नियम 14 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती का निर्णय लिया है।

चन्दौली में बनेगा वैदिक उद्यान

चन्दौली में पड़ाव चौराहे के निकट गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की पूरी जमीन संस्कृति विभाग को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। संस्कृति विभाग द्वारा इस भूमि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति, मेमोरियल ब्लाक तथा वैदिक उद्यान की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

किसान संस्थान को अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व राजस्व विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग को सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

सोलर एनर्जी कार्पोरेशन से होगी बिजली की खरीद

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के माध्यम से सोलर प्लांट में उत्पादन की गई बिजली 2.55 रूपये प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाएगी। प्रतिदिन अधिकतम 750 मेंगावाट विद्युत खरीद के लिए पावर कारपोरेशन और सेकी के मध्य होने वाले पावर सेल एग्रीमेंट में सरकार की ओर से शासकीय गारंटी का प्राविधान है।

सोलर मिशन फेज–2 और–3 के अन्तर्गत राजस्थान में दो सोलर एनर्जी पार्कों की स्थापना की जा रही है। इन दोनों पार्कों से उत्पादन होने वाली 750 मेगावाट बिजली यूपी पावर कारपोरेशन क्रय करेगा। बिजली की खरीद 25 वर्षों तक की जाएगी।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी